तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6/5/22	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इल्तवा होकर पत्रावली आइन्दा 24/5/22 को पेश हो।
24/05/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के नोटिस डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश की। रसीदें शामिल पत्रावली की गई। विपक्षी सं. 15 बैंक की ओर से वकील गिरधारी चौधरी उपस्थित शेष विपक्षीगण अनुपस्थित इंतजार हो। पत्रावली दि० 15/06/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
15/06/22	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प शिविर ग्रा. पं. मुख्यालय रतनपुरा पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पक्षकारान प्रार्थीगण को सुना गया तथा मौके की जानकारी ली गयी आदेश मौके पर लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 05/2022

प्रार्थीगण :—

1. हुकमा पुत्र हरदान
2. पता पुत्र हरदान
3. भगा पुत्र हरदान
4. बाबू पुत्र हरदान
   जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. केसरा पुत्र होथी
2. जैरूपा पुत्र होथी
3. भूपा पुत्र होथी
4. मसरा पुत्र होथी
5. मांगा पुत्र होथी जाति रबारी निवासी बारूडी
6. गणपत पुत्र जेता
7. जयकिशन पुत्र पेमा
8. झमकू पत्नी पेमा
9. तेजाराम पुत्र जेता
10. पूनमा पुत्र धूडा
11. पूनमाराम पुत्र पदमाराम
12. सुखराम पुत्र पदमा
13. समू पत्नी जेता
14. सोना पुत्र पेमा
    जाति विश्नोई निवासी बारूडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. शा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
16. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 15/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता [illegible]श चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। [illegible] प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 (207[illegible] [illegible] मौजा बारूडी पटवार हल्का भाखरपुरा के खेत खसरा नम्बर 251/[illegible] रकबा 4.2573 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:05:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी